IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समाज के बदलते परिवेश में महिलाओं के प्रति बढ़ता साइबर अपराध

डा0 आशा आर्या

असिस्टेन्ट प्रोफेसर इतिहास जी0डी0सी0 काण्डा बागेश्वर

हमारे समाज में नारी को नारी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। समाज में वह मां, बहन, पत्नी, बेटी आदि बनकर अपनी भूमिका निभाती है परंतु समाज में महिलाओं का विशेष स्थान होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि महिलाओं को किस हद तक शोषण व दुर्व्यवहार सहना पड़ता है और समाज में महिला उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वर्तमान में हम देखे तो तकनीकी का उपयोग कर हर महिला आगे बढ़ रही है वहीं तकनीकी के कारण ही महिलाओं का शोषण भी हो रहा है आज इंटरनेट नेटवर्किंग लोकतंत्र के लिए नई संभावनाएं प्रदान करती है लेकिन इंटरनेट के माध्यम से ही महिलाओं के प्रति कई अपराध जन्म ले रहे हैं जिसमें साइबर क्राइम एक है । साइबर क्राइम का सामना लगभग अधिकांश महिलाओं को करना पड़ रहा है और साइबर अपराध में दिन–प्रतिदिन वृद्धि दर्ज की जा रही है साइबर अपराध महिलाओं में यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार व मानसिक शोषण को जन्म देता है जिसमें कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं साइबर क्राइम का प्रमुख कारण इसके बारे में जानकारी का ना होना है महिलाओं को साइबर अपराध के बारे में जानकारी ही उनके इस अपराध से उन्हें बचा सकती है इंटरनेट का उपयोग करते समय महिलाओं को तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है।

कूट शब्द- तकनीकी, साइबर, महिला, इंटरनेट, शोषण

हमारे समाज का विकास तेजी से हो रहा है उसी तेजी से महिला हिंसा भी बढ़ रही है महिला हिंसा हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में हर तीसरी महिला शारीरिक मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना को सहना पड़ता है महिला हिंसा का स्तर बढ़ते जा रहा है भले ही हिंसा के रूपों में भिन्नता हो सकती है घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, पीछा करना, दहेज से संबंधित दुर्व्यवहार आदि कई अपराध है जिनसे महिलाएं प्रताड़ित है। जैसे–जैसे समाज का विकास हो रहा है वैसे ही अपराध करने के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का उपयोग बहुत अधिक लोगों द्वारा किया जाने लगा है जिसमें इंटरनेट से जुड़े अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे हैं जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है भारत में साइबर क्राइम का शिकार सर्वाधिक महिलाएं होती हैं हर दूसरी महिला आजकल साइबर क्राइम का शिकार हो रही है और इंटरनेट के माध्यम उनके लिए नया मंच है यहां हर एक महिला सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है टॉलिंग, गाली– गलौज, धमकी देना, अश्लील बातें करना, ब्लैकमेल करना आदि जैसे साइबर क्राइम इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं अब महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो वार्षिक रिपोर्ट 2020 के दौरान भारत में होने वाली कुल साइबर अपराधों में से 20% महिलाओं के खिलाफ हुए जिसमें

धोखाधड़ी के बाद यौन शोषण के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए जो साइबर अपराध से जुड़ी मंशा को स्पष्ट करता है । संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 35 फीसदी महिलाओं ने ही अपने खिलाफ हुए साइबर अपराध की शिकायत की । वही साइबर अपराध से पीड़ित लगभग 46.7 फीसदी महिलाओं ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की । 18.3 फीसदी महिलाओं को तो इसका अंदाजा भी नहीं था कि वे साइबर क्राइम की शिकार हो रही हैं। कई बार सोशल साइट पर महिलाओं द्वारा सावधानी ना बरते जाने के कारण उन्हें साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ता है बार–बार टैक्स मैसेज करना, मिस्ड कॉल करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, महिलाओं की फोटो मिलने पर उन्हें ब्लैकमेल करना आदि कई तरीकों से महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप कई महिलाएं आत्महत्या तक कर लेते हैं।

साइबर क्राइम की अवधारणा

साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है साइबर अपराध जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है जहां इनके कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है नेटवर्क के जरिए ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वही इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध किया जाता है। वैज्ञानिक जेवियर जिसके अनुसार साइबर क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने वाला अपराध है इसके अंतर्गत जालसाजी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग शामिल है। साइबर क्राइम में किसी की निजी जानकारी चुराने के अलावा दस्तावेज या डाटा चोरी धोखाधड़ी अश्लीलता और नफरत इत्यादि अपराध आते हैं साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को साइबर अपराधी कहा जाता है

महिलाओं के खिलाफ प्रमुख साइबर अपराध

साइबर स्टॉकिंग– साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है उन्हें ईमेल व मैसेज भेज कर परेशान किया जाता है जो अपराध मुख्य रूप से सोशल मीडिया, फेसबुक इंस्टाग्राम, ईमेल के द्वारा किया जाता है। अपराधी महिलाओं से अभद्र चेट, अश्लील पिक्चर्स भी भेजते हैं इसमें अधिकांश से छोटे बच्चे व टीनएजर्स शामिल है अधिक जानकारी ना होने के कारण महिला व बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं और अपराधी उन्हें अलग–अलग तरीकों से परेशान करता रहता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है इस समस्या से भारत जैसे विकासशील देश ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी शामिल है इस समस्या से पीड़ितों में महिलाएं बच्चों का प्रतिशत लगभग तीन चौथाई (75%) है।

साइबर स्पाइग– साइबर स्पाइन के अंतर्गत कुछ बड़े होटल के बाथरूम और कमरे के बेडरूम में चुपचाप तरीके से कुछ कैमरे लगा दी जाते हैं उन कैमरों में उन लड़कियों की कोई अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं ऐसा ही कुछ शॉपिंग मॉल या फिर कुछ कपडो की दुकानों पर भी किया जाता है यहां पर लड़कियां ड्रेस चेंज करके अपनी फिटिंग चेक करती हैं उनकी पिक्चर्स और वीडियोस लेकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है जो एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है।

साइबर बुल्लयिग– साइबर बुलिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रकरण देखने को मिलते हैं अपराधी अलग–अलग जगहों की लड़कियों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर धीरे–धीरे उनसे मेल जोल बढ़ाने के बाद उनसे संबंध बनाने के

लिए जिद करते हैं और अंत में उनको राजी भी कर लेते हैं अपराधी इनके अश्लील फोटो वीडियो बना लेते हैं जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं इसके अतिरिक्त वह उन्हें यह धमकी देते हैं कि वह उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं ऐसे में महिला डर जाती और कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है।

पोर्नोग्राफी– पोर्नोग्राफी के मामले भारत में बहुत बढ़ रहे हैं पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट ऑडियो, और सामग्री आती हैं जिसकी प्रकृति यौन हो और यौन कृतियों पर आधारित हो महिला और बच्चों में पोर्नोग्राफी के मामले सबसे अधिक देखे जाते हैं और इंटरनेट पर महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर प्रकाशित कर महिलाओं का मानसिक शोषण किया जाता है इसके साथ ही अनेक बच्चों और महिलाओं को अपहरण कर उन्हें जबरन पोर्नोग्राफी में धकेला जाता हैं।

ई–मेल धोखाधड़ी (स्पैम) – आजकल ऑनलाइन इमेल द्वारा मेल भेजकर लोगों से उनके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाना सामान्य बात हो गई है अपराधी आपको कोई मेल भेजता है जो वास्तविक लगे तथा विश्वसनीय आईडी से भेजा गया हो परंतु वह वास्तविक नहीं होता है इस तरीके से भेजे गए ई–मेल पर अधिकांश लोग विश्वास कर लेते हैं और धोखाधड़ी के शिकार होते हैं।

ट्रोलिंग– ट्रोलिंग का सीधा संबंध किसी व्यक्ति को परेशान करने उसे अपमानजनक संदेश भेजना है। ट्रोलिंग में जाति, लिंग, सेक्सुअल, धर्म आदि पूर्वाग्रहों के आधार पर व्यक्ति को टारगेट करना आदि शामिल है देखा गया है ट्रोलिंग में पुरुष महिला दोनों ही ट्रोलिंग झेलते हैं लेकिन शोधो में यह पाया गया है कि महिलाएं अपने जेंडर के आधार पर खास तौर पर टारगेट की जाती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 2017 में किए गए सर्वे के मुताबिक लगभग 78% जिन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग को सहा हैं टारगेट होने के कारण कई अपना अकाउंट बंद कर देते हैं और उन्हें मानसिक रूप से इस पीड़ा को सहन करना पड़ता है

साइबर अपराध के कारण

तकनीकी ज्ञान की कमी–इंटरनेट के माध्यम से आजकल हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ रहा है हर कोई इसका प्रयोग करता है परंतु इसके बारे में उचित जानकारी ना होने के कारण उन्हें साइबर अपराध का शिकार होना पड़ता है कई बार व्यक्ति अपनी जानकारी अपराधी को दे देते हैं जिससे उनका शोषण अपराधी द्वारा किया जाता है।

कानूनी जानकारी का अभाव–वर्तमान में साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। जिसे महिलाएं या अन्य व्यक्ति साइबर अपराध के शिकार होने पर तुरंत इस संबंध में पुलिस को सूचना दे सकते हैं पर इन कानूनों नियमों के बारे में अधिकांश लोग को पता नहीं रहता । कम जानकारी के अभाव में उनको साइबर अपराध का शिकार होना पड़ता है।

महिलाओं में संकोच एवं भय–जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में महिलाओं को हमेशा परंपराओं में बांधा जाता है अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं गलती उनकी ना होने पर भी उनको बहुत

कुछ सहना पड़ता है जिस कारण अगर समाज में कभी कोई महिला साइबर क्राइम का शिकार हो जाती है तब भी लोक लाज के भय से इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करती और उनका शोषण होते रहता है।

महिलाओं द्वारा बढ़ती लापरवाही–हम सभी जानते हैं महिला का स्वभाव दयालु और नरम होता है और भी बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेती हैं और विश्वास करने के पश्चात उससे मित्रता होने पर उसे अपने सभी व्यक्तिगत जानकारी फोटो आदि दे देती है और कई बार सोशल साइट फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी पर भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करती हैं जिसके कारण साइबर अपराधी को अपराध करने का मौका मिलता है और महिलाएं अपनी लापरवाही की वजह से अपराध की शिकार बन जाती है

साइबर अपराध के खिलाफ कानूनी प्रावधान

साइबर अपराधों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण भारतीय कानून का मार्गदर्शन करने वाला आईटी अधिनियम प्रमुख है (एमईआईटी, 2000)।

- किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान–धारा 66 सी
- अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान–धारा 66 डी
- आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान–धारा 67
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान–धारा 67 ए
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो–धारा 67 बी
- सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान–धारा 70
- डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना–धारा 71
- आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान–धारा 72 ए
- कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान–धारा 72
- फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन–धारा 73

भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान

- ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना–आईपीसी की धारा 503
- ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना, जिससे मानहानि होती हो–आईपीसी की धारा 499
- फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल–आईपीसी की धारा 463
- फर्जी वेबसाइट्स या साइबर फ्रॉड–आईपीसी की धारा 420
- चोरी–छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना–आईपीसी की धारा 463
- ईमेल का गलत इस्तेमाल–आईपीसी की धारा 500

साइबर अपराध से बचनें के उपाय

- महिलाओं को उस शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिन्हें वे जानती नहीं हैं।
- असल दुनिया में जिसे आप जानते हैं और विश्वास करते हैं, उन्हें ही वर्चुअल वर्ल्ड में फ्रेंड बनाएं।
- इंटरनेट या साइबर स्पेस पर किसी भी स्थिति में अपनी निजी जानकारी या तस्वीरें शेयर नहीं करना चाहिए।
- सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को खासतौर पर सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी तरह का कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है?
- अवांछित और बार–बार के एसएमएस, ईमेल, कॉल्स, फ्रैंड रिक्वेस्ट को लेकर भी उन्हें खुद को बचाना चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी जानकार व्यक्ति या सुरक्षा एजेंसी को इसकी जानकारी देना चाहिए।
- पुलिस और सुरक्षा एजेसियां आपकी सेवा के लिए हैं। यह उनका दायित्व है कि वे सुरक्षा संबंधी आपकी समस्याओं का हल करें।
- इंटरनेट बैकिंग के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से कदापि न करें, और ट्रांजेक्शन करनें के पश्चात ईमेल अकाउंट को लागआउट करना न भूलें। इस प्रकार के ब्राउजिंग के डाटा को उसके हिस्ट्री में जाकर डिलीट कर दें।
- आप अपने कंप्यूटर, ईमेल अकाउंट और अन्य प्रकार के इन्टरनेट ट्रांजेक्शन के लिए स्ट्रोंग पासवर्ड का प्रयोग करें, जो कि शब्दों और नंबरों से मिलकर बना हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ

गृह मंत्रालय भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली 110001

साइबर सुरक्षा पर किशोरों छात्रों के लिए पुस्तिका केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड दिल्ली 2019

To END CYBER CRIMES AGAINST WOMEN AND GIRLS FATMA UYSAL UN WOMEN NATIONAL COMMITTEE AUSTRIA MARCH 2019

CYBER CRIMES AGAINST WOMEN :A GLAOMY OUTLOOK OF TECHNALOGICAL ADVANCEMENT ABHINAV SHARMA &AJAY SINGH

CYBER CRIME AGAINST WOMEN RIGHT TO PRIVACY AND OTHER ISSUES SANJEEV KUMAR PRIYANKA.AN OPEN ACCESS JOURNAL FORM THE LAW BRIGADE PUBLISHING GROUP

CYBER CRIME IN INDIA :ARE WOMEN A SOFT TARGET DEEPSHIKHA SHARMA LEGAL SERVICE INDIA E- JOURNAL

https://www.patrika.com/crime.news/cyber crime-7066248

https:// hindi.livelaw.in know-the law/what- is -cyber- crime- cyber -law -series-/49875

https://www.scotbuzz.org/2020/09/saibat-aparadh html 2 date 10-52022 time 5:00PM